

पुत्रक,

श्री स्वामी कृष्णर अस्पृश्यों,  
संयुक्त समिति,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
प्रिया केन्द्र-2, अन्वय केन्द्र,  
पुणेति विहार, नई दिल्ली।

क्रिया 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 20 सितम्बर 2000

विषय- सिल्वर गार्डन स्कूल, औद्योगिक क्षेत्र इन्दौर रोड, गावियाबाद को सी०डी०एस०डी० नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रस्तुत नहीं है:-

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे पत्र कने का निदेश हुआ है कि सिल्वर गार्डन स्कूल, औद्योगिक क्षेत्र इन्दौर रोड गावियाबाद को सी०डी०एस०डी० नई दिल्ली से संबन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रस्तुत नहीं है:-

- 118 विद्यालय की परीक्षित सीतापट्टी का तत्प-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की संबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 138 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संबन्धित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 148 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्रस्तावित शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संख्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को तिल कार दि उच्छिन्न लक्ष्य तटीकिकेड डबलमिशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संख्या प्राप्त होने व तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 158 संस्था शैक्षिक एवं शिष्टाचार संबंधी कार्य को राजकीय स्तर पर प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कार्यवाहियों को अनुसूचित क्षेत्रों तथा अन्य भवनों से कम वेतनमान तथा अन्य भले नहीं दिये जायेगा।
- 168 कार्यवाहियों की सेवा में बनायी जायेगी और उन्हें स्थापना प्राप्त प्राथकीय-उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कार्यवाहियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।



- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्मित किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित सुपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिस्थान नहीं किया जायेगा।

2. उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होना और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पूरक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा पुनस्त अनुमोदन प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

। गवान सुन्दर अग्निहोत्री ।  
संयुक्त तयिय।

पुं०-3008 111/15-7-99 तदु दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित जो सुचना की एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, गावियाबादा।
4. निरीक्षक, जॉयल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुं०००, सिल्वर लाइन स्कूल, औद्योगिक क्षेत्र सुन्दरगढ़ रोड, गावियाबादा।
6. गार्ड फाइला।

आज्ञा है,

*[Signature]*

। गवान सुन्दर अग्निहोत्री ।  
संयुक्त तयिय।

*Gita Joshi*  
Principal

Silver Line Prestige School  
A-2/1, Buland Shahr Road  
Indl. Area, Ghaziabad-201002 (U.P.)

For Silver Line Prestige School

*[Signature]*  
Chairman